न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— श्री रामरख मीना RAS

दायर दिनांक :— 28.01.2019

प्रकरण संख्याः—10/2019

भवरलाल पुत्र न्योलाराम जाति जाट निवासी उदरासर तहसील श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर वादी

—बनाम—

1. न्यौलाराम पुत्र किसनाराम जाति जाट निवासी उदरासर तहसील श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर। प्रतिवादी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूगरगढ

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायीनिषेधाज्ञा
अन्तर्गत आर.टी.एक्ट 1955 धारा 53,88,188

उपस्थितः—
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. श्री बंजरगलाल चौटिया अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री राज पेरापकार

निर्णय दिनांक :—15.04.2019

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 343 तादादी 11.2500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 344 तादादी 6.3500 हैक्टेयर रोही उदरासर में स्थित है उक्त खेत मूल खेत खसरा नम्बर 341 से खसरा नम्बर 241 मिन तादादी 25 बीघा 2 बिस्वा एवं 241 मिन 44 बीघा 10 बिस्वा बने। जिसके गत खसरा नम्बर 907/241 तादादी 6.3500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 906/241 तादादी 11.2500 हैक्टेयर कायम हुए। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 344 तादादी 6.3500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 343 तादादी 11.2500 हैक्टेयर है। मुल खसरा नम्बर 341 के विभाजित होने के बाद खसरा नम्बर 241 मिन तादादी 25 बीघा 2 बिस्वा पूर्वी तरफ एवं खसरा नम्बर 241 मिन तादादी 25 बीघा 10 बिस्वा पश्चिमी तरफ कायम हुए उसी अनुसार वादगत खेतो की मौके पर सीमा कायम की हुई है। एवं उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त लगातार शान्तिपूर्वक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का चला आ रहा है। वादगत खेतो में से खसरा नम्बर 241 मिन 25 बीघा 2 बिस्वा को जरिये विक्रय पत्र वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 27.07.1976 को खरीद किया था जो खरीद के समय वादी का खेत पूर्वी तरफ एवं प्रतिवादी संख्या 1 का खेत पश्चिमी तरफ था जो आज भी लगातार उसी अनुसार मौके पर कायम है। वादगत खेतो के राजस्व नक्शा में राजस्व कर्मचारियो ने वादगत खेतो की तरमीम करते समय वादी के खेत की तरमीम पश्चिमी तरफ एवं प्रतिवादी के खेत की तरमीम पूर्वी तरफ कर दी जबकि वादी का कब्जा काश्त पूर्वी तरफ एवं प्रतिवादी का कब्जा काश्त पश्चिमी तरफ चला आ रहा है। मौके पर वादी का खेत खसरा नम्बर 344 तादादी 6.3500 हैक्टेर पूर्वी तरफ एवं प्रतिवादी का खेत खसरा नम्बर 343 तादादी 11.2500 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ कायम है जबकि राजस्व नक्शा सीट में खसरा नम्बर 344 तादादी 6.3500 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ एवं खसरा नम्बर 343 तादादी 11.2500 हैक्टेयर पूर्वी तरफ दर्ज है। वादगत खेत राजस्व नक्शा सीट में मौके कब्जे के विपरीत दर्ज है जो राजस्व कर्मचारियो ने बिना मौका जांच किये वादगत खेतो की तरमीम मौके के विपरीत कर दी जिसको वादी मौके कब्जे के अनुसार करवाने का अधिकारी है। अतः रोही उदरासर के वादगत खेत खसरा नम्बर 344 तादादी 6.3500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 343 तादादी 11.2500 हैक्टेयर की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार खसरा नम्बर 344 तादादी 6.3500 हैक्टेयर को पूर्वी तरफ एवं खसरा नम्बर 343 तादादी 11.2500 हैक्टेयर को पश्चिमी तरफ राजस्व नक्शे में तरमीम घोषित की जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में कब्जा काश्त एवं मौके के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की और से जबाबदावा मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया दावा जबाबदावा के अनुसार नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 344 तादादी 6.3500 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 343 तादादी 11.2500 हैक्टेयर रोही उदरासर जो मूल खसरा नम्बर 341 के ही भाग है जो मौके पर वादी का खेत पूर्वी तरफ एवं प्रतिवादी का खेत पश्चिमी तरफ कायम है उसी अनुसार सीमाएं मौके पर कायम है। राजस्व नक्शे में वादी के खेत खसरा नम्बर 344 तादादी 6.3500 हैक्टेयर की तरमीम पश्चिमी तरफ है जबकि मौके पर पूर्वी तरफ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर की तरमीम पूर्वी तरफ है जबकि मौके पर पश्चिमी तरफ है मौके पर सडक सडक वादी के खेत में से गुजर रही है जो गै.मु. रास्ता वादी के खेत में दर्ज जो पूर्वी तरफ से प्रवेश होकर दक्षिण कोने से निकल रही है मौके पर कब्जा काश्त रिकार्ड के विपरित है। वादगत खेतो के राजस्व रिकार्ड को मौके कब्जे के अनुसार तरमीम किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः रोही उदरासर के वादगत खेत खसरा नम्बर 344 तादादी 6.3500 हैक्टेयर को पूर्वी तरफ एवं खसरा नम्बर 343 तादादी 11.2500 हैक्टेयर को पश्चिमी तरफ राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में कब्जा काश्त एवं मौके के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें। डिक्री जारी हों ।

आज दिनांक 15.04.2019 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरख मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ़ [illegible]

Scanned by CamScanner